मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 28.02.2025 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

समीक्षा बैठक मे दिये गये निर्देश	अनुपालन
1– अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स के.एल.एस.आर (रिज) द्वारा जनपद मऊ मे पाचवें फेज के अन्तर्गत 113 स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। 113 परियोजनाओं से 319 राजस्व ग्राम आच्छादित है। 319 ग्रामों के सापेक्ष 98 ग्रामो मे कमीशनिंग के पश्चात 94 ग्रामो मे नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। संस्था से सम्बन्धित 46 शिकायत प्राप्त हुए है, जिसमें से 44 का निस्तारण होना दर्शाया गया है। रोड रेस्टोरेशन 234 मे 230 मोटरेबुल होना दर्शाया गया है। शत्–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या 167 बतायीं गयी है, जो मात्र 52 प्रतिशत है। रेगुलर जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्था को निर्देशित किया गया, जिससे इसका सत्यापन कराया जा सके। पम्प हाउस के निर्माण में 116 के सापेक्ष 107 पर कार्य प्रारम्भ होना तथा 99 पूर्ण होना दर्शाया गया है। शिरोपरि जलाशय के निर्माण की प्रगति 113 के सापेक्ष मात्र 06 हुयी है। क्लोरिनेशन सिस्टम 34 स्थापित होना तथा 29 संचालित होना दर्शाया गया है। स्वगाडा की प्रगति शून्य है। पाईप लाईन डिस्ट्रीब्यूशन में 1745 किमी0 के सापेक्ष 1520 किमी0 पूर्ण होना दर्शित है। सोलर प्लान्ट 54 स्थापित होना बताया गया है। उपरोक्त विवरण पत्र से स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था का कार्य असंतोषजनक है। शिकायतों के निस्तारण में 46 के सापेक्ष 44 का निस्तारण किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। अधिशासी अभियन्ता को शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये। शिरोपरि जलाशय में मात्र 06 का पूर्ण होना कार्यदायी संस्था की उदासीनता का द्योतक है। अवगत कराया गया कि संस्था के पास मैन पावर का अत्यंत अभाव है, जिसके कारण निर्माणाधीन लम्बित परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं है। संस्था द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र में विरोधाभास है। अधिशासी अभियन्ता को सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर से प्रगति का सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये।	कार्यदायी संस्था मेसर्स के.एल.एस.आर के द्वारा 98 के सापेक्ष 100 ग्रामों में कमीशनिंग पूर्ण की गयी, परन्तु नियमित जलापूर्ति में 94 के सापेक्ष कोई वृद्धि नही की गयी। संस्था द्वारा 48 कम्प्लेन के सापेक्ष 46 का निस्तारण किया गया है। रोड रेस्टोरेशन में 234 ग्राम के सापेक्ष 230 ग्राम में मोटरेबुल है। होली त्योहार के कारण कोई वृद्धि नही हो पायी है। शत–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन वाले 167 ग्रामों में वृद्धि करते हुये 171 ग्रामों में शत–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन किया गया है। रोड रेस्टोरेशन में 52 प्रतिशत के सापेक्ष 54 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पम्प हाउस की प्रगति 99 से बढ़ाकर 100 हुई है। क्लोरिनेशन सिस्टम में 34 स्थापित है तथा 29 संचालित हो रहे है। क्लोरिनेशन सिस्टम में कोई प्रगति नही हुयी है। पाईप लाईन डिस्ट्रीब्यूशन में 1748 किमी0 के सापेक्ष 1520 किमी0 पूर्ण है जो पूर्ववत है। सोलर प्लान्ट 113 स्थानों पर लगाने के लिये स्वीकृति मिली है, जिसके लिये 113 क्रय किये जा चुके है तथा 57 स्थानो पर स्थापित किया जा चुका है। शिरोपरि जलाशय की प्रगति में कोई वृद्धि नहीं हुयी है। समीक्षा बैठक दिनांक 28.02.2025 को हुई थी। होली त्योहार के कारण मैन पावर की अनुपलब्धता के कारण अपेक्षित प्रगति नही हो पायी। प्रगति बढ़ाये जाने के लिये संस्था को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है। महोदय द्वारा सत्यापन हेतु रोड रेस्टोरेशन की सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। संस्था द्वारा नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है (संलग्नक–क)।
2– अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा से सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर मैन पावर की अत्यन्त कमी है। अधिकांश परियोजनाओं पर एक वर्ष से भी अधिक समय से कार्य बन्द पड़ा हुआ है। 219 स्वीकृत परियोजनाओं से 485 राजस्व ग्राम आच्छादित है। 146 राजस्व ग्राम मे कमीशनिंग होना तथा 125 राजस्व ग्राम में नियमित जलापूर्ति किया जाना बताया गया। शिकायतों के निस्तारण मे 119 के सापेक्ष 118 शिकायतों	कार्यदायी संस्था मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा के द्वारा 146 ग्रामों में वृद्धि करते हुये 154 ग्रामों में कमीशनिंग पूर्ण कर ली गयी है, परन्तु नियमित जलापूर्ति पूर्व की भाँति 125 ग्रामों हो रही है। शिकायतों के निस्तारण में 121 के सापेक्ष 120 का निस्तारण किया गया है। रोड रेस्टोरेशन में कोई वृद्धि नही हुई है 1024 के सापेक्ष 1002 ग्रामों में मोटरेबुल प्रगति पूर्ववत है। शत–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन वाले 285 ग्रामों में वृद्धि करते हुये 289 ग्राम में पूर्ण किया गया है। पम्प हाउस की प्रगति पूर्ववत

Scanned with OKEN Scanner

को निस्तारित किया गया है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। ग्राम प्रधान सहित तमाम जन प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही शिकायतों से स्पष्ट है कि संस्थाओं द्वारा भौतिक रूप से शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नही किया गया है। रोड रेस्टोरेशन में 1024 के सापेक्ष 1002 ग्रामों में मोटरेबुल होना दर्शाया गया है तथा 285 ग्रामों में शत–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन किया जाना दर्शित हैं। **रेगुलर जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्था को निर्देशित किया गया, जिससे इसका सत्यापन कराया जा सके।** पम्प हाउस निर्माण में 251 के सापेक्ष 217 कम्प्लीट दिखाया गया है। पम्प हाउस की प्रगति संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जिसके सत्यापन की आवश्यकता है। शिरोपरि जलाशय 225 के सापेक्ष 47 पूर्ण होना बताया गया है। क्लोरिनेशन सिस्टम 55 पर स्थापित होना तथा 45 को संचालित होना दर्शाया गया है। इसी प्रकार सोलर प्लान्ट 219 के सापेक्ष 171 कम्प्लीट होना बताया गया है। पाईप लाईन डिस्ट्रीब्यूशन में 1748 किमी0 के सापेक्ष 1520 किमी0 पूर्ण होना बताया गया है। संस्था द्वारा विवरण पत्र में प्रदर्शित प्रगति का विवरण में विश्वसनीयता का अभाव प्रतीत हो रहा है। निर्माणाधीन परियोजनाओं पर एक वर्ष से कार्य बन्द होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के पास मैन पावर की बहुत कमी है। संस्था द्वारा समीक्षा के लिये प्रस्तुत विवरण पत्र में दर्शायी गयी प्रगति में विरोधाभास होने के कारण सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर द्वारा भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये।

है, जो 251 में 217 ही पूर्ण किये गये है। शिरोपरि जलाशय की प्रगति 225 के सापेक्ष 47 पूर्ववत है। क्लोरिनेशन सिस्टम 55 के सापेक्ष 45 पूर्ववत है। सोलर प्लान्ट की प्रगति भी 219 के सापेक्ष 171 पूर्ण पायी गयी जो पूर्ववत है। समीक्षा बैठक दिनांक 28.02.2025 के बाद होली त्योहार के कारण मैन पावर की कमी के दृष्टिगत अपेक्षित प्रगति नही हो पायी। सत्यापन हेतु रोड रेस्टोरेशन की सूची उपलब्ध कराने हेतु महोदय द्वारा निर्देश दिये गये थे, अनुपालन में संस्था द्वारा नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की सूची उपलब्ध करा दी गयी है **(संलग्नक– ख)**।

3– अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ से सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर मैन पावर बढाये जाने की आवश्यकता है। 199 स्वीकृत परियोजनाओं से 510 राजस्व ग्राम आच्छादित हैं। 208 राजस्व ग्राम में कमीशनिंग होना तथा 205 राजस्व ग्राम में नियमित जलापूर्ति किया जाना बताया गया। शिकायतों के निस्तारण में 104 के सापेक्ष 103 शिकायतों को निस्तारित किया गया है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। ग्राम प्रधान सहित तमाम जन प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही शिकयतों से स्पष्ट है कि संस्थाओं द्वारा भौतिक रूप से शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नही किया गया है। रोड रेस्टोरेशन में 885 के सापेक्ष 876 ग्रामों में मोटरेबुल होना दर्शाया गया है तथा 329 ग्रामों में शत–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन किया जाना दर्शित हैं। **रेगुलर जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्था को निर्देशित किया गया, जिससे इसका सत्यापन कराया जा सके।** पम्प हाउस निर्माण में 207 के सापेक्ष 199 कम्प्लीट दिखाया गया है। पम्प हाउस की प्रगति के सत्यापन की आवश्यकता है। शिरोपरि जलाशय 198 के सापेक्ष 64 पूर्ण होना बताया गया है। क्लोरिनेशन सिस्टम 80 पर स्थापित होना तथा 76 को संचालित होना

कार्यदायी संस्था मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 208 ग्रामों में वृद्धि करते हुये 214 ग्रामों की कमीशनिंग पूर्ण की गयी तथा 205 ग्रामों में वृद्धि करते हुये 210 ग्रामों में नियमित जलापर्ति की जा रही है। शिकायतों के निस्तारण मे 106 शिकायतों के सापेक्ष 104 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। रोड रेस्टोरेशन में संस्था द्वारा कोई प्रगति नही की गयी है। 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या 329 में वृद्धि करते हुये 335 ग्रामों मे पूर्ण कर लिया गया है। पम्प हाउस निर्माण में कोई प्रगति नही की गयी हैं। शिरोपरि जलाशय में भी कोई प्रगति नही हुयी है 64 शिरोपरि जलाशय पूर्ण पाये गये। पाईप लाईन डिस्ट्रीब्यूशन में भी 3430 किमी0 के सापेक्ष 3134 किमी0 पूर्ववत प्रगति है। समीक्षा बैठक दिनांक 28.03.2025 के पश्चात होली के त्योहार के कारण मैन पावर की अनुपलब्धता हो गयी, जिससे अपेक्षित प्रगति सम्भव नही हो सकी। शीघ्र प्रगति बढाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से संस्था को कडे निर्देश दिये गये है। महोदय द्वारा सत्यापन हेतु नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन से सम्बन्धित सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, अनुपालन में उपर्युक्त सूची संलग्न है **(संलग्नक– ग)**।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

दर्शाया गया है। इसी प्रकार सोलर प्लान्ट 186 के सापेक्ष 141 कम्प्लीट होना बताया गया है। पाईप लाईन डिस्ट्रीब्यूशन मे 3430 किमी0 के सापेक्ष 3134 किमी0 पूर्ण होना बताया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अन्य संस्थाओं के सापेक्ष संस्था का कार्य संतोषजनक है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा मैन पावर में वृद्धि की गयी है। सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर द्वारा भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये।	
4– पेयजल परियोजनाओ से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार के निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 (टीपीआई) को नियुक्त किया गया है। टीपीआई के जिला प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण सामाग्री/निर्माण कार्य की गुणवत्ता से सम्बन्धित जो आपत्तियां उठायी जाती है, उन आपत्तियों की कम्प्लायंश रिपोर्ट संस्थाओं द्वारा काफी विलम्ब से दी जाती है तथा कम्प्लायंश रिपोर्ट देने की प्रगति अत्यंत धीमी है। मेसर्स एल.सी. इन्फ्रा द्वारा 5285 के सापेक्ष मात्र 2677 रिपार्ट प्रस्तुत की गयी है, जो 51 प्रतिशत है। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 4150 के सापेक्ष मात्र 1794 रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जो 43 प्रतिशत है। मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा 1435 के सापेक्ष 581 रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जो मात्र 40 प्रतिशत है। कम्प्लायंश रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है। कम्प्लायंश रिपोर्ट प्रस्तुत न करने से निर्माण की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह उठना स्वभाविक है। टीपीआई के जिला प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शिरोपरि जलाशय के निर्माण में ओल्ड बल्ली का प्रयोग किया जाना आपत्तिजनक है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बिना हेल्मेट, शूज तथा नेट व बैरिकेटिंग के बिना ही कार्य कराया जा रहा है। पाईप लाईन डालते समय तुरन्त ज्वाइन्ट न करने के कारण भी लीकेज के साथ–साथ दूषित पेयजल आपूर्ति की भी सम्भावना बनी रहती है। सभी संस्थाओं को सुरक्षा उपायों का समुचित उपयोग करते हुए निर्माण कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये तथा शत्–प्रतिशत कम्प्लायंश रिपोर्ट मंगलवार को प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया।	कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पेयजल परियोजनाओ का जो निर्माण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता की जॉच हेतु थर्ड पार्टी के रूप में मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 नियुक्ति की गयी है। संस्था द्वारा निर्माण कार्य की जॉच के पश्चात जो आपत्तियां उठायी जाती है। उसका निराकरण करने के पश्चात कम्प्लायंश रिपोर्ट प्रेषित करने का प्राविधान है। कम्प्लायश रिपोर्ट प्रेषित करने की प्रगति अत्यन्त धीमी होने के कारण महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिये गये थे। संस्थाओं द्वारा वर्तमान में अपेक्षित प्रगति नही की गयी है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा पूर्व की प्रगति 2677 में कोई वृद्धि नही की गयी। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 1794 कम्प्लायंश रिपोर्ट में वृद्धि करते हुये 1888 रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा पूर्व में प्रेषित 581 के सापेक्ष कोई प्रगति नही की गयी। कार्यदायी संस्थाओं को कम्प्लायंश करने के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़े निर्देश दिये गये है। टीपीआई संस्था द्वारा दिनांक 18.03.2025 तक की प्रगति का विवरण पत्र संलग्न है (संलग्नक–घ)।
5– जिला समन्वयक डीपीएमयू के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में जनपद मऊ के लिये समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, अभिनव बाल एवं ग्रामोत्थान समिति तथा जन कल्याण समिति इम्प्लीमेन्ट सपोर्ट एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है। यह भी बताया गया कि सोशल रिसर्च इन्स्टीट्यूट का अनुबन्ध निरस्त होने के कारण उसको आवंटित तीन क्लस्टर्स को समाज कल्याण को 01 तथा जन कल्याण को 02 क्लस्टर आवंटित किया गया है। समाज कल्याण को 07 तथा जन कल्याण समिति को 06 व अभिनव बाल एवं ग्रामोत्थान समिति को 03 क्लस्टर आवंटित है। दुवारा	जनपद मऊ के लिये सूचीबद्ध आईएसए संस्था समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, अभिनव बाल एवं ग्रामोत्थान समिति एवं जन कल्याण समिति द्वारा जन जागरुकता से सम्बन्धित गतिविधियों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये माह मार्च में की जाने वाली समस्त गतिविधियों की अग्रिम कार्य योजना दिनांक 03.03.2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में तीनों संस्थाओं की माह मार्च में सम्पादित होने वाली गतिविधियों की तिथिवार कार्य योजना प्राप्त कर पत्रांक 289 दिनांक 04.03.2025 को माध्यम से महोदय

Scanned with OKEN Scanner

आवंटित किये गये तीनों क्लस्टर की प्रगति धीमी है। जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.01.2025 को आवंटन हुआ है, जिसके कारण इन तीन क्लसटर्स में कार्य विलम्ब से प्रारम्भ किया गया है। आईएसए के कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु नियुक्त कोआर्डिनेटर को सतत निगरानी करने की आवश्यकता है। सम्बन्धित गतिविधियों का सत्यापन भी किया जाना चाहिये आईएसए को जागरूकता एवं स्वच्छता के प्रचार-प्रसार हेतु सूचीबद्ध किया गया है। उच्चाधिकारियों द्वारा ग्रामीण भ्रमण के समय जनसामान्य में जल जीवन मिशन से सम्बन्धित जागरूकता का अभाव परिलक्षित होता है। स्पष्ट है कि आईएसए संस्थायें अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं कर रही है। माह मार्च मे सम्पादित होने वाली गतिविधियों की संस्थावार कार्य योजना अग्रिम रूप से दिनांक 03.03.2025 को अवश्य प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्थाओं को निर्देशित किया गया। कार्य योजना के अनुसार सम्पादित होने वाली गतिविधियों का सत्यापन/जाँच कराने की आवश्कता है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।	को प्रेषित की जा चुकी है (संलग्न- च)।

(रामेश्वर दयाल)
अधिशासी अभियन्ता,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मऊ

पत्रांक 336 / m-07 / 18 दिनांक 18/03/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- जिलाधिकारी महोदय, मऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मऊ को सादर अवलोकनार्थ।
4- जिला समन्वयक, डीपीएमयू, मऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5- डीपीएम, टीपीआई संस्था।
6- जिला प्रतिनिधि मैसर्स एल.सी.इन्फा/मैसर्स जी.ए.विश्वनाथं/मैसर्स के.एल.एस.आर, कैम्प कार्यालय,मऊ को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या के सन्दर्भ में-इस निर्देश के साथ कि कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता